

मु.सं. 52/18 (95/2014)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18-7-18

रेस्टोरेशन आ.पत्र सं. 84/2015 खीलार कर इस  
खाल आ.पत्र न.ए. को रेस्टोर किए जाने के मोर्दा  
पारित किए जाने पर यह खाल आ.पत्र न.ए. तलब  
कर पुनः नए नम्बर पर दर्ज किया गया। यहाँ  
उभयपक्षान की वापसी की समिति के आचार पर  
खाल आ.पत्र सं. 59/2015 (122/2014) से प्रतिक्रिया  
दिष्टी जारी किए जाने से अब इस न.ए. आ.पत्र  
पर कोर्ट कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है वतः  
आ.पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप ली  
जाती है। मिलात फौरन सुनार रोकड नम्बर से  
कम हो।

  
18/7/18  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, ब्यावर